अध्याय II

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान

भारतीय समाज में लोगों का एक वर्ग कुछ मूलभूत अधिकारों से वंचित था, जिनका प्राचीन काल में शेष लोगों द्वारा उपभोग किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए । अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच मौलिक विसंगतियाँ होने और उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष उपायों की अत्यावश्यकता के कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में संविधान में एक स्पष्ट विशिष्टता बनाई गई है और संविधान के भाग XVI में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं । उसी प्रकार, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए संविधान के **भाग-X** में विशेष प्रावधान किए गए हैं । विधान विसंगतियों को दूर करने और उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हितों के संरक्षण और उन्नति के लिए व्यवस्था करता है । इसके अतिरिक्त भाग - III, IV, IX,IX - **क** और संविधान की पांचवीं और **छठी** अनुसूची में अनेक अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक चिन्ता बढ़ाते हैं ।

2.2 **अनुच्छेद 14 व्यवस्था करता है कि** " राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।"

2.3 **अनुच्छेद 15** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस समकरण प्रक्रिया के विशिष्ट प्रयोगों में से एक है । यह निम्न प्रकार से है:-

"(1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर -

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बधन या शर्त के अधीन नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।"

2.4 भारत के संविधान में प्रावधान अन्तर्विष्ट है, जो कुछ न्यूनतम अधिकारों की गारंटी देता है, जिसका प्रत्येक नागरिक द्वारा उपभोग किया जाना चाहिए और जिसमें पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कर्त्तव्य में भी अन्तर्विष्ट है । भारत के संविधान के भाग - III में अन्तर्विष्ट मौलिक अधिकारों के अधीन अधिकारों की गारंटी देता है और राज्य का कर्त्तव्य राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन है । राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है कि " राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।" संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियाँ के त्वरित विकास के लिए संविधान में कुछ सुरक्षण और संरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके ।

2.5 संविधान के अनुच्छेद 366 (24) और 366 (25) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है । इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में वर्णित है ।

अनुच्छेद 366 (24) "अनुसूचित जातियों" से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियाँ अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है ।

अनुच्छेद 366 (25) "अनुसूचित जनजातियों" से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है ।

अनुच्छेद 341 (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशो या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथो को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, {यथास्थिति} उस राज्य {या संघ राज्य क्षेत्र} के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 342 (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों

अथवा उनके भागों या उनमें के यूथो को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, { यथास्थिति} उस राज्य { या संघ राज्य क्षेत्र} के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद विधि द्वारा, किसी जनजाति, या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षण

2.6 संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन वर्णित सभी उपायों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- ❖ सामाजिक सुरक्षण
- ❖ आर्थिक सुरक्षण
- ❖ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षण
- ❖ राजनैतिक सुरक्षण
- ❖ सेवा सुरक्षण
- ❖ अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षण

सामाजिक सुरक्षण

2.7 इन सुरक्षणों के अधीन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25 (2) (ख) में वर्णित है ।

2.8 अनुच्छेद 17 के अनुसार "अस्पृश्यता" का अंत हो गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है । "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । इस अनुच्छेद से संबधित दो महत्वपूर्ण कानून है अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 । "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे संबंधित बातों के लिए दण्ड विहित करने के उद्देश्य से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उसके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है । इस अधिनियमन के माध्यम से पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी । अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अभियुक्तों को कड़ी और बड़ी हुई सजा देने तथा पीडितों अथवा उनके परिवार के पुनर्वास की भी व्यवस्था करता है । उसके अधीन बनाए गए

अनु0 जाति तथा अनु0 जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में पीड़ितो अथवा उनके परिवार के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान समाविष्ट है ।

2.9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करना है । गंगुला अशोक और ए एन आर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में दिनांक 28.1.2000 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व, 2000 की एस एल पी (क्रम) सं0 829 के तहत विशेष न्यायालय, आरोप पत्र प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे थे । भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दिए गए निर्णय के बाद जो सूचित करता है कि जब तक सकारात्मक और विशेष रूप से अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है, कोई सत्र न्यायालय, एक न्यायाधीश द्वारा उस मामले को सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान नहीं ले सकता है । न्यायालय द्वारा अत्याचार के मामलों के निपटान की गति धीमी हो जाएगी । **चूंकि अनु0 जा0 और अनु0 जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक केन्द्रीय अधिनियम है, भारत सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन और विशेष प्रावधान जोड़े जाने चाहिए ताकि सुपुर्दगी कार्यवाही के बिना अत्याचार के मामले विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण के** लिए सीधे लिए जाए ।

2.10 अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु चूंकि अधिकतर बन्धुआ मजदूर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, अतः इस अनुच्छेद का उनके लिए विशेष महत्व है । इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 बनाया गया है और बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी है । परन्तु पिछले 25 वर्षो से इस अधिनियम को लागू किए जाने के बावजूद बंधुआ मजदूरी अभी तक विद्यमान है और इसकी रोकथाम करने व तत्संबंधी पुनर्वास कार्य को अधिक कारगर बनाये जाने की आवश्यकता है ।

2.11 अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 14(चौदह) वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा । बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य कानून है । यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का बहुमत नहीं, तथापि काफी बड़ा भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति का है । यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था होने तथा इस संबंध में प्रचार किए जाने के बावजूद काच चूड़ी उद्योग, कालीन बुनाई कार्य और बीड़ी उद्योग आदि में बाल श्रमिक कार्यरत है । इन बच्चों की दयनीय स्थिति और इन कानूनों के उल्लंघन की जानकारी के लिए प्रेस व टेलीविजन द्वारा भी व्यापक कवरेज दी जाती है । दुर्भाग्यवश **बाल श्रम की समस्या अभी जारी है और इस बुराई का पूरी तरह से समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाने के लिए विशेष उपाय किये जाने अपेक्षित है । केन्द्र तथा राज्य सरकार के श्रम विभागों के भाग पर एक ही समय में विधिक प्रावधानों तथा सतर्कता के कार्यान्वयन को तीव्र किए जाने की आवश्यकता है ।**

2.12 अनुच्छेद 25 (2) (ख) में यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाएं, हिन्दुओं के सभी वर्गो और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी । हिंदू शब्द में सिक्ख, जैन व बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं । यह उपबंध सुसंगत है, क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय दावा करते रहे हैं कि

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मन्दिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है । यद्यपि यह सामाजिक कुप्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की घटनाएं समाचार पत्रों में कभी-कभी छपती रहती है और उन्हें इस आयोग के ध्यान में भी लाया गया है । **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को हिन्दुओं के मंदिरों तथा हिंदू धार्मिक संस्थानों में विना रोक टोक के प्रवेश देने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं ।**

आर्थिक सुरक्षण

2.13 अनुच्छेद 23, 24 तथा 46 के प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक सुरक्षण का भाग बनते हैं ।

> **अनुच्छेद 46** - राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षण

2.14 **अनुच्छेद 15 (4)** राज्य को सामाजिक-शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है । यह उपबंध संविधान में, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए । इस उपबंध ने राज्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में जिनमें तकनीकी, इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में स्थान आरक्षित करने के अधिकार दिए । इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 16 (4) में " पिछड़े वर्ग " शब्दों का प्रयोग व्यापक जेनेरिक रूप में किया गया है तथा इसमें पिछड़े वर्गो की विभिन्न श्रेणियों यथा अनसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों,अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जातियां और घुमन्तु/अर्ध घुमन्तु (खानाबदोश) जातियां या समुदाय आदि शामिल है ।

2.15 **अनुच्छेद 29 (1)** में यह प्रावधान है कि " भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा ।" इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें से अधिकांश की विशेष भाषाएं हैं तथा कुछ समुदाय जैसे संथालो की अपनी अलग लिपि भी है जिसे ओलचिकी कहते हैं । परन्तु इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि जनजाति के लोगों को केवल उनकी ही भाषा में शिक्षित किया जाए क्योंकि ऐसा करने से वे अलग-अलग हो जाएगें । उन्हें राज्य की भाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ उनके संघटन को मदद दी जा सके ।

2.16 **अनुच्छेद 350 (क)** में भी प्रावधान है " राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं।" **अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी-अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है । जनजातीय समुदायों में शिक्षा की सुलभता तथा स्वीकार्यता में सुधार के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि, जहां तक संभव हो सके उन्हें शिक्षा उनकी**

भाषा में दी जाए तथा इस प्रयोजनार्थ पाठयक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि तैयार करने के लिए परम अग्रता आधार पर उपाय शुरू किए जाएं ।

राजनीतिक सुरक्षण

2.17 **अनुच्छेद 164 (1)** में यह प्रावधान है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है । **झारखंड तथा छतीसगढ के नए राज्यों के सृजन के साथ जनजातीय जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण होता है, अनुच्छेद 164 (1) को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ।**

2.18 **अनुच्छेद 330** में लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, इस अनुच्छेद के अनुसरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 545 में से क्रमशः 79 तथा 41 स्थान आरक्षित हैं ।

2.19 **अनुच्छेद 332** में, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

2.20 **अनुच्छेद 334** में, यह व्यवस्था है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान (और लोक सभा व राज्यों की विधान सभाओं में नामजदगी द्वारा एंग्लोइंडियन लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) है । इस आरक्षण को संविधान में प्रति 10 वर्ष बाद संशोधन करते हुए आगे बढ़ाया गया है । लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2010 तक बढा दिया गया है ।

2.21 संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के साथ प्रभाव में आए **अनुच्छेद 243 - घ** के अंतर्गत पंचायतों में ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संबंधित स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगें । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित ये स्थान प्रत्येक स्तर पर किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी - बारी से आंबंटित किए जाएंगें ।

2.22 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) बना दिए जाने से, पंचायत से संबंधित संविधान के भाग IX के उपबंध इन अपवादों व आशोधनों के अध्यधीन कि किसी राज्य का विधान मंडल किसी भी मुद्दे से असंगत कोई कानून नहीं बनाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू कर दिए हैं । ये मुद्दे इस प्रकार हैं --

> प्रथागत विधि, सामाजिक और धार्मिक आचरण तथा जनजातीय समुदायों का पारम्परिक प्रबन्ध/आचरण । अधिनियम, स्थानीय समुदायों को लघु वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है, उनकी भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व तथा किसी परियोजना के अधीन उनके विस्थापन के मामले मे पुनर्वास उपायों के संबंध में उनसे परामर्श भी किया जाना चाहिए ।

2.23 **अनुच्छेद 243 न** संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नगरपालिका निकायों में प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे

। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित इन स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें ।

2.24 **अनुच्छेद 371 क** में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.25 **अनुच्छेद 371 ख** में असम से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.26 **अनुच्छेद 371 ग** में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.27 **अनुच्छेद 371 च** में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.28 **अनुच्छेद 371 छ** में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.29 **अनुच्छेद 371 ज** में अरूणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

सेवा संबंधी सुरक्षण

2.30 अनुच्छेद 14 में निर्धारित समानता का सामान्य और संक्षिप्त सिद्धान्त अनुच्छेद 16 में अधिक विस्तार में कतिपय स्थिति के लिए दिया गया है । यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबन्ध सहित राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति में समान अवसर का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है ।

अनुच्छेद 16

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी {जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गो के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।}

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

2.31 **अनुच्छेद 16 (4 क)** - उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में दिनांक 16.11.1992 के अपने निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी नहीं रखा जा सकता है । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की वर्तमान नीति को 5 वर्ष अर्थात् 15.11.1997 तक जारी रखने की अनुमति दी है । तथापि, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखना आवश्यक समझा क्योंकि

सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया था । तदनुसार, संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया जिसमें सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई और इसमें निम्नलिखित खंड 4 क को अन्तः स्थापित किया गया ।

> " इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गो के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। "

2.32 **अनुच्छेद 16 (4ख)** उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 50% से अधिक रिक्तियां आरक्षित नहीं की जानी चाहिए । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 अगस्त 1997 के का0 ज्ञा0 सं0 36012/5/97 स्था0 (आरक्षण) के तहत निर्धारित किया गया है कि आरक्षण पर 50% की सीमा चालू तथा बैकलाग रिक्तियों पर लागू होगी और आरक्षित रिक्तियों का बैकलाग आरक्षण संबंधी 50% की सीमा के प्रयोजनार्थ भिन्न समूह के रूप में नहीं माना जाएगा । संसद द्वारा संविधान (इक्यासिवां संशोधन) अधिनियम 2000 के तहत संविधान के अनुच्छेद 16 के उपबंधो को संशोधित किया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा (4 क) के नीचे निम्नलिखित उपबंध जोड़ा गया ।

> " इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड 4 या खण्ड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षो में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में पचासा प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । "

2.33 संशोधन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, यह अपेक्षा की गई थी कि चूंकि विशेष रूप से समूह " क" और " ख" श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए समूह " क" के निम्नतम स्तर से ऊपर के, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी । इस मुद्दे पर विचार - विमर्श करने के बाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी टिप्पणियाँ प्रेषित करते हुए इस बात से अवगत कराया कि समूह " क " सहित अन्य सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए । तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/18/95 - स्थापना (आरक्षण) भाग - II में ऐसे किसी उपबंध को शामिल नहीं किया गया और केवल आरक्षण की विद्यमान नीति को ही जारी रखा गया । इस संबंध में यह पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा इस संशोधन को उसके सही प्रयोजन से कार्यान्वित नहीं किया गया है । यह आदेश आयोग के परामर्श की अवहेलना करते हुए जारी किया गया और इस संबंध में राष्ट्रपति को अलग से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । **आयोग ने अपनी चौथी और पांचवी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रोन्नति में आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-1997 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए पदों की सभी श्रेणियों में सभी स्तरों तक दिया जाना चाहिए । समाज के अत्यधिक दलित वर्ग को उसका हिस्सा दिलवाने तथा कार्य का अवसर प्रदान करने तथा प्रवन्धन में योगदान देना सुनिश्चित करने के लिए आयोग अपनी सिफारिश को दोहराता है ।**

2.34 **अनुच्छेद 335 में प्रावधान है -** " संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा ।"

2.35 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 1997 के का0 ज्ञा0 सं0 36012/23/96-स्था0 (आरक्षण) के तहत,एस0 विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए प्रोन्नति के मामलों में कम अर्हता अंक/मूल्यांकन के निम्न मानक देने के लिए जारी किए गए अनुदेश वापस लिए थे । संसद द्वारा संविधान (बियासिवॉ संशोधन) अधिनियम, 2000 के तहत अनुच्छेद 335 में वर्णित उपबंध संशोधित किए गए और अन्त में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए:-

> " परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गो में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंको में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षण

2.36 जनजातीय कार्यो को संविधान में एक विशेष स्थिति दी गई है । जबकि राज्य सामान्यतः अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए उत्तरदायी हैं, संघ सरकार भी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व रखती है । स्वाधीनता के तुरन्त बाद यह पाया गया था कि तुच्छ धनराशि के लिए अधिकांश जनजाति भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरण किया गया था । अतः जनजातीय लोगों ने भूमि हस्तांतरण की गंभीर समस्या का सामना किया । संविधान निर्माताओं ने इन कठिनाईयों को देखा तथा जनजातीय कार्यो और जनजातीय भूमि के नियंत्रण के बारे में संविधान में विशेष उपबन्ध किए ।

2.37 अनुच्छेद 244 के अधीन संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए, विधि-निर्माण की व्यवस्था करती है ।

> **अनुच्छेद 244** (1) निर्धारित करता है कि पांचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे ।
>
> (2) छठी अनुसूची के उपबंध असम, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे ।

2.38 पांचवीं अनूसूची में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान हैं । 8 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं ये राज्य इस प्रकार हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमालय प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान । इन राज्यों के राज्यपालों के विशेष उत्तरदायित्व हैं और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं । इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें हैं ।

2.39 अनुच्छेद 244 (1) के अधीन संविधान की पांचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए विधान हेतु विशेष उपबंधों की व्यवस्था करती है । उक्त अनुसूची का पैरा 5(1) अधिकार देता है कि राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकें कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें ।

पैरा 5(2) अधिकार देता है कि राज्यपाल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में और विशेषकर उसमें विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में शान्ति और सुशासन के लिए विनियम बनाए । अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि का सही रूपान्तर निम्न प्रकार से है:-

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उप पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है । विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमः-

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगें ।

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के आंवटन का विनियमन कर सकेंगे ।

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगें ।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप पैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा ।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनने वाले राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नही कर लिया है ।

2.40 उन आठ राज्यों के अतिरिक्त तमिलनाड़ और पश्चिम बंगाल, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, में भी सांविधिक जनजाति सलाहकार परिषद है । **छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के नए राज्यों के सृजन के बाद, जिनमें विशाल जनजातीय जनसंख्या हैं, इन राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने और इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की भी व्यवस्था करने हेतु, संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ।**

2.41 उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि की गैर जनजातीय व्यक्तियों को खनन पट्टा देने के विरूद्ध अपने निर्णय में वर्ष 1970 में यथा संशोधित विनियम की धारा 3 (1) (क) में 'व्यक्ति' शब्द की व्याख्या की है । निर्णय के अनुसार शब्द 'व्यक्ति' में सरकार भी सम्मिलित होगी । अब धारा 3 (1)

(क) में शब्द व्यक्ति का अर्थ जनजातीय और गैर-जनजातीय व्यक्तियों के संदर्भ में, जो अन्तर-स्फूर्ति से हस्तांतरण द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से संबंधित है, न केवल जन्म से व्यक्तियों को शामिल करना होगा, बल्कि निगम समूह अथवा निगम एकल, राज्य निगम साझाफर्म कम्पनी, निगम संरचना अथवा सभी वर्गो के व्यक्तियों के साथ, अंतरितक अथवा अंतरिती के रूप में किसी व्यक्ति सहित जातीय भाव में सभी न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के संबंध में पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) (ख) में शब्द नियमन अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरितक अथवा अंतरिती के रूप में उन पर लागू हो सके। अतः, केवल जनजातीय लोगों और एक सहकारी समिति, जो केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से मिलकर बनी हो, के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का कब्जा और उपभोग होना चाहिए ।

2.42 **अनुच्छेद 275(1)** में व्यवस्था है कि ऐसी राशियां, जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी ।

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चो को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्वि करने या उस राज्य मे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए ।

इस अनुच्छेद में छठी अनुसूची में शामिल किए गए राज्यों को भारत की संचित निधि में से ऐसे विशेष अनुदान दिए जाने के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है । छठी अनुसूची में असम (उत्तरी कछार पर्वतीय जिला तथा कार्बी अंगलोग जिला). मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा (स्वशासी पर्वतीय जिला) राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है । इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषदें तथा स्वशासी प्रादेशिक (रीजनल) परिषदें हैं । इन क्षेत्रों में स्वप्रबंध की पुरानी परम्परा है । ये स्वशासी परिषदें न केवल विभिन्न विभागों तथा विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम अथवा नगर प्रशासन जिसमें ग्राम और शहर की पुलिस और जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सहित ग्राम और शहरी प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह एवं विवाह-विच्छेद तथा सामाजिक रीति - रिवाज पर कानून बनाने की भी शक्तियां प्राप्त हैं ।

2.43 **अनुच्छेद 338** - जैसा कि संविधान के संशोधित - अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया है कि आयोग के कार्यो में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों का अन्वेषण करना, उनका अनुवीक्षण (मानिटरिंग) और मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना तथा योजना प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है । संघ और राज्य सरकारों को उन सभी मुख्य नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है , जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करते हैं । संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के उपबंधों के अनुसार किसी भी मामले का अन्वेषण या शिकायत की जाँच-पड़ताल करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियाँ हैं जो वाद के विचारण में होती है, तथा विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थातः-

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को "समन" करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ।

(ii) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ।

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ।

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ।

(v) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।

(vi) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें ।

2.44 आयोग द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यकरण और उनके कल्याण तथा उत्थान के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है । आयोग अब तक राष्ट्रपति को पांच रिपोर्टें,तथा चार विशेष रिपोर्टें, जिनमें विभिन्न सिफारिशें दी गई हैं, प्रस्तुत कर चुका है । आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में से पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी वार्षिक रिपोर्ट और एक विशेष रिपोर्ट कार्रवाई ज्ञापन सहित संसद में रखी जा चुकी है।

2.45 आयोग को व्यापक दायित्व सौंपे गये हैं जिनमें न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य ही शामिल हैं, अपितु योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन सभी मुख्य नीतिगत मामलों में परामर्श देना भी शामिल है जिनका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव पड़ता है । आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करने अथवा उनके अधिकारों के वंचन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी दी गई हैं । परन्तु **आयोग के निर्णय स्वरूप में केवल अनुशंसात्मक है और न कि संघ अथवा राज्य सरकार के प्रतिवादी विभाग/संगठन, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, वित्तीय संस्थान, आदि पर बाध्यकारी नहीं है । आयोग महसूस** करता है कि सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने और संविधान के अंतर्गत आयोग को और कारगर शक्तियां प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है ।